ग्राम विकास बैंक

संगठन एवं कार्य

Arvind Kumar Sharma (Faculty Member)

स्थापना

- **स्थापना** – दिनांक 12 मार्च 1959 को सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अन्तर्गत
- **कार्यक्षेत्र**- समस्त उत्तर प्रदेश तक सीमित होगा
- **उद्देश्य**- सहकारी समितियों, तथा व्यक्तिगत सदस्यों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चल अथवा अचल संपत्ति अथवा सरकार की प्रत्याभूति पर ऋण देना

कार्यकारी संगठनात्मक ढांचा

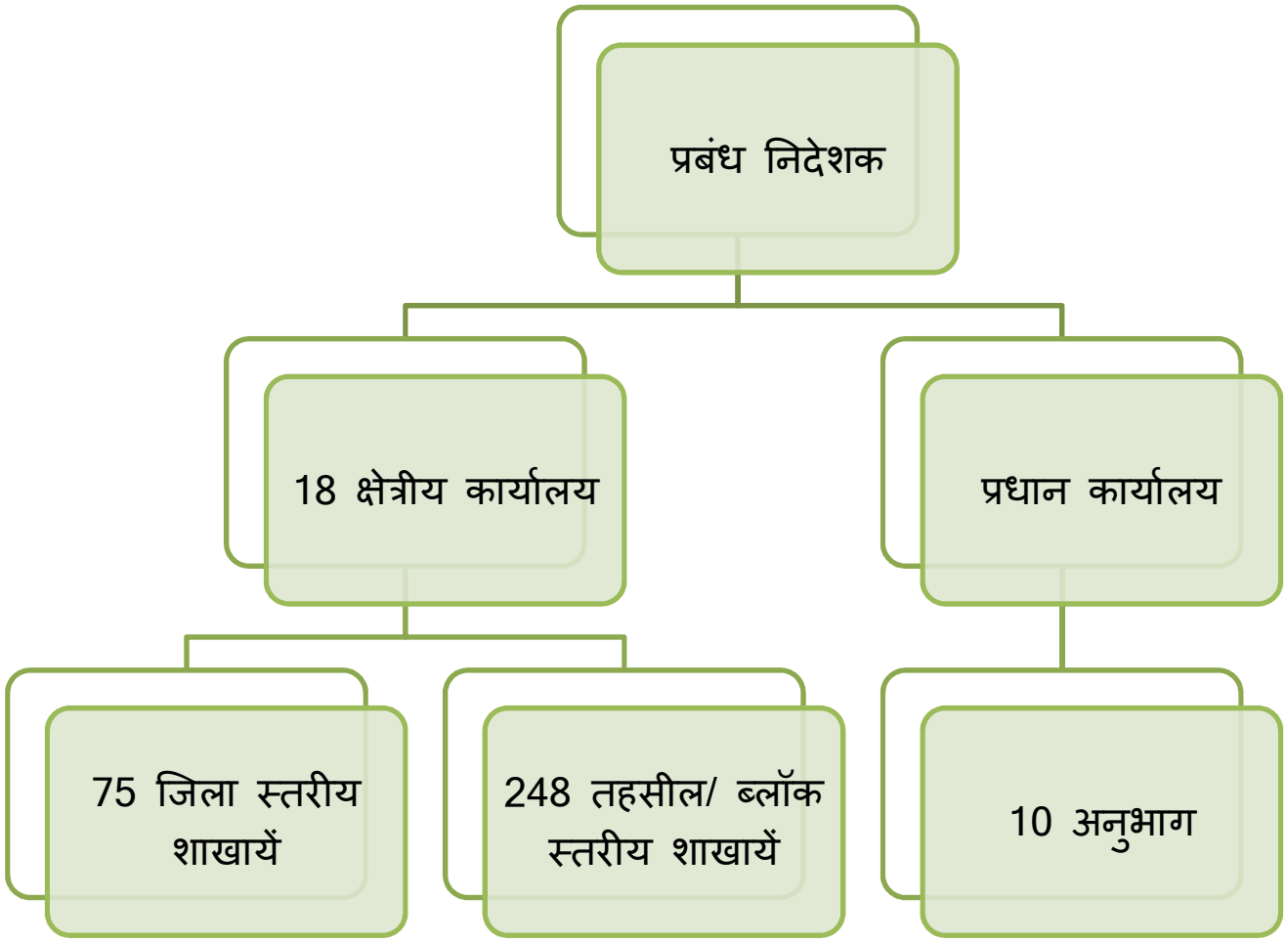

संगठनात्मक संरचना(प्रबन्ध)

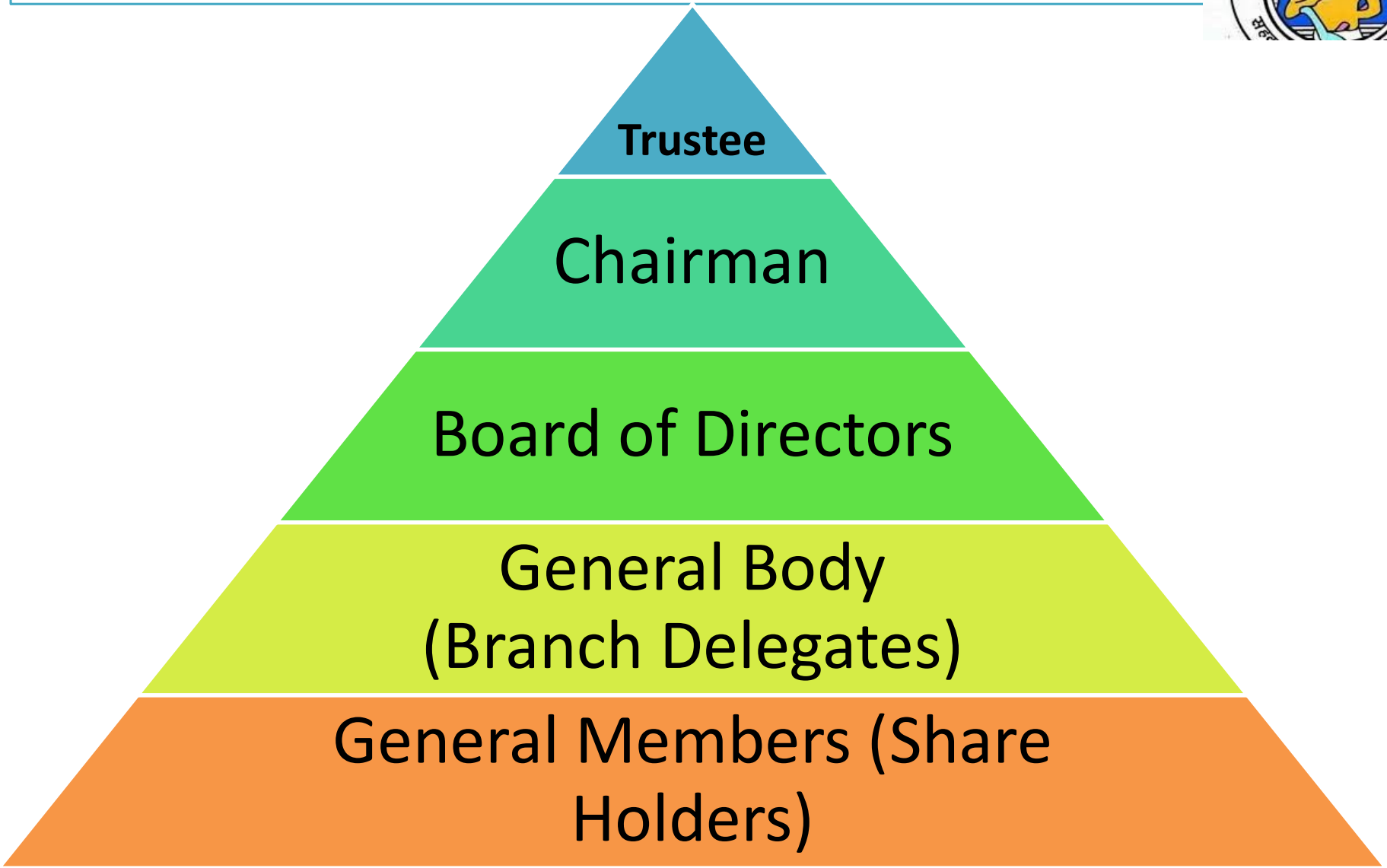

ट्रस्टी (न्यासधारी)

न्यासधारी की नियुक्ति

- सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा4(1) द्वारा
- सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार निबंधक

गठन

(Sec.5, LDB Act)

- **न्यासधारी एकल निगम होगा**
- शाश्वत उत्तराधिकार
- विधिक व्यक्ति

अधिकार एवं कृत्य

- ऋण पत्र धारियों एवं राज्य सरकार के हितों की सुरक्षा
- बैंक एवं ट्रस्टी के मध्य निष्पादित Instrument of Trust से निर्धारित

शाखा प्रबंध समिति (BMC)

•शाखा के अर्ह साधारण सदस्यों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित

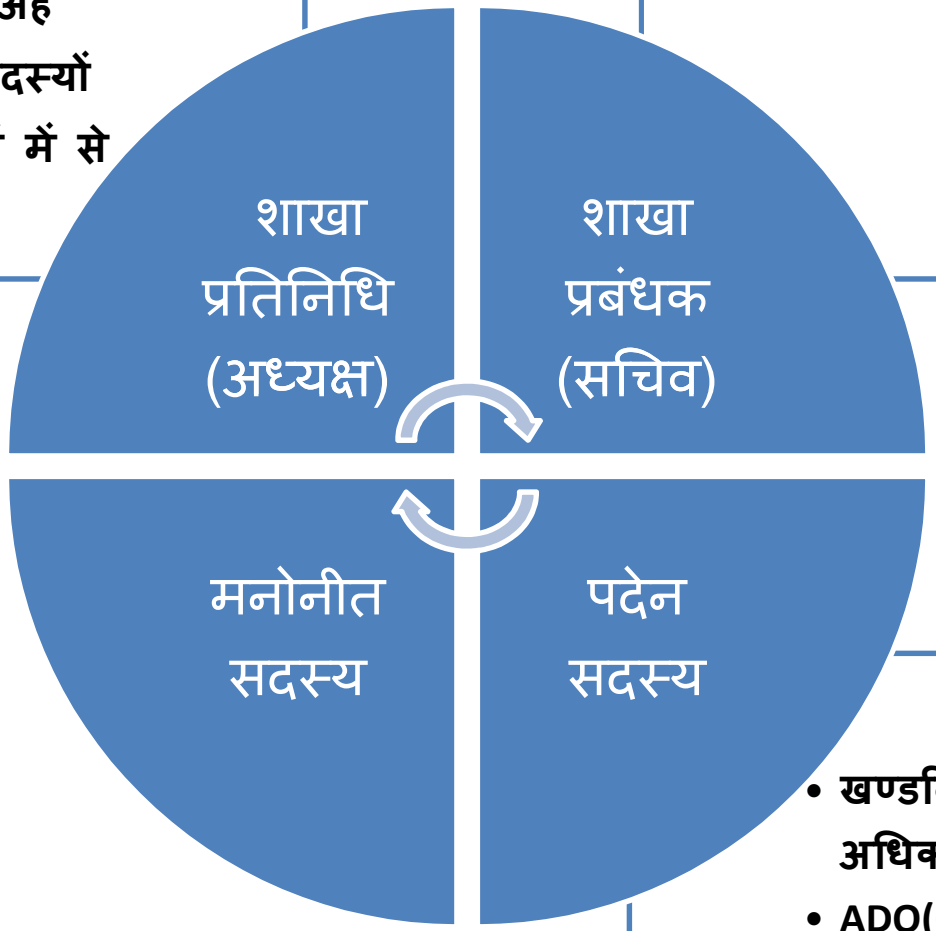

- खण्डविकास अधिकारी
- ADO(Cooperative)

शाखा प्रबंध समिति के कार्य

- सदस्य बनाना
- ऋण स्वीकृति सम्बंधित
- अन्य

सामान्य निकाय (General Body)

गठन

- बैंक की प्रत्येक शाखा से सम्बंधित सदस्यों में से एक निर्वाचित प्रतिनिधि
- राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो संचालक

अधिकार व् कार्य

- संचालक मण्डल का चुनाव
- बैंक के आगामी वार्षिक कार्यकलापों का अनुमोदन
- बजट की स्वीकृति
- बैंक के अधिकतम दायित्व का निर्धारण
- बैलेंसशीट, एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार

बैठक

- वार्षिक सामान्य बैठक
- अन्य बैठक

संचालक मण्डल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर)

गठन

- बैंक के निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र (13) में स्थित शाखाओं के शाखा प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं में से ही निर्वाचित संचालक
- राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो संचालक

अधिकार व् कार्य

- सभापति / उपसभापति का चुनाव
- बैंक की नीतियों का निर्धारण एवं अनुमोदन
- कार्यकारिणी समिति / उपसमिति का चुनाव

बैठक

- आवश्यकतानुसार
- सदस्यों की मांग पर

प्रशासन

सभापति	उपसभापति	प्रबंध निदेशक

Any Questions Please?

Thanks

Arvind Kumar Sharma
(Faculty Member)